classmate
Date
Page

DATE : 05/10/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO. - 03

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है, जो राष्ट्रपति की केन्द्र में। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। परन्तु राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं —

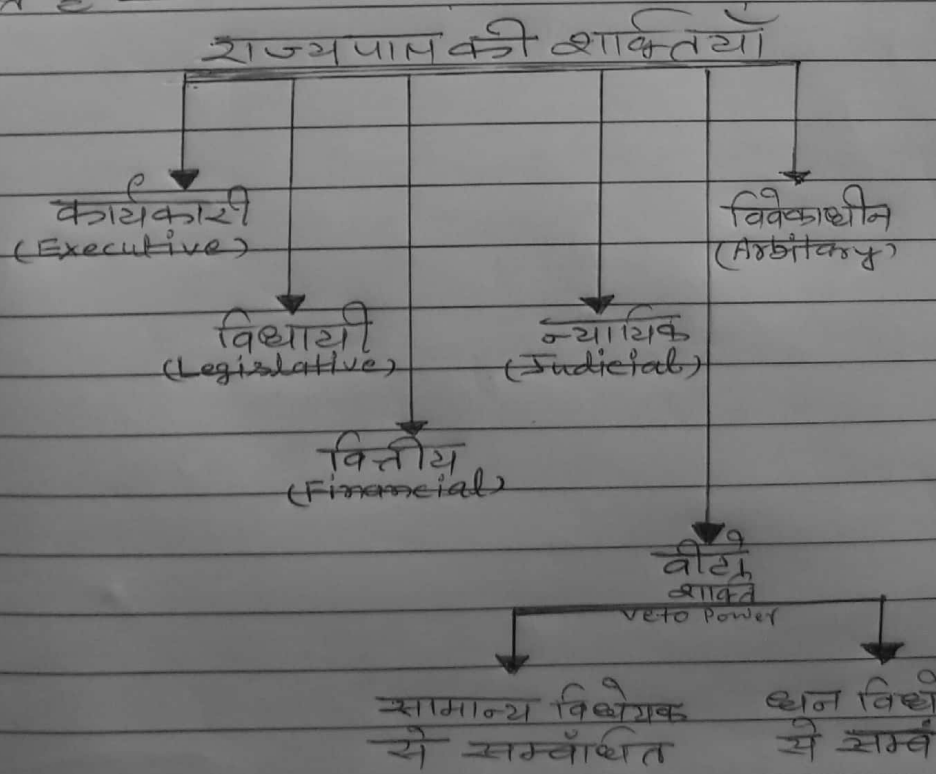

Scanned with CamScanner

(1) कार्यकारी शक्तियाँ —
(Executive Power)

राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग करता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(i) मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् के सहयोग की नियुक्ति करना।

(ii) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करना।

(iii) राज्यपाल, राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है।

(2) विधायी शक्तियाँ :—
(Legislative Power)

राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ इस प्रकार हैं—

(i) राज्यपाल राज्य विधान सभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है।

(ii) विधेयक को अधिनियम (कानून) बनाने हेतु उस पर हस्ताक्षर करना। अर्थात् कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है।

(iii) राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।

Scanned with CamScanner

Date ______
Page ______

(iv) राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आँग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, इसके लिए राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि आँग्ल-भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। इससे सम्बंधित है – अनुच्छेद: 333 ।

(v) यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष व व्यावहारिक ज्ञान हो।

(vi) यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है।

(vii) राज्यपाल को दोनों सदनों को संदेश भेजने की शक्ति प्राप्त है।

(viii) अनु० 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से छह छह सप्ताह के बाद लागू नहीं रहता।

(ix) राज्य विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है।

इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Scanned with CamScanner